(22)

समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर म. प्र.
पुनराविलोकन प्रकरण क्र.:- 812 I/2017 Regs 812 - I - 17

आवेदक :- --------- म.प्र. शासन द्वारा
कलेक्टर जिला जबलपुर म.प्र.

विरूद्व

अनावेदक :- ----- उमाशंकर दाहिया पुत्र श्री जगदीश प्रसाद
दाहिया निवासी ग्राम सुहागी तह.पनागर
जिला जबलपुर म. प्र.

पुनराविलोकन आवेदन अंतर्गत धारा 51 म.प्र.भू रा.संहिता 1959

आवेदक प्रार्थना करता है--

श्री डी.के. शुक्ला (शा.अधि.) द्वारा आज दि. 6-3-17 को प्रस्तुत
क्लर्क 6-3-17
राजस्व मंडल

(आवेदक माननीय न्यायालय द्वारा निगरानी प्र.क.1667--1/2016 उमाशंकर विरूद्व म.प्र.शासन में पारित आदेश दिनांक 18/11/16 के संबंध में निम्नलिखित पुनराविलोकन आवेदन प्रस्तुत करता है।)

D Shukla
Govt. Advocate
6-3-2017

1. यह कि माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 18/11/16 पारित करते समय महत्वपूर्ण विधिक तथ्यों का निराकरण शेष रह गया है।
2. यह कि प्रथम दुष्टया भूल आदेश का पुनः परीक्षण कर पुनराविलोकन किया जाना न्याय हित में आवश्यक है ।
3. यह कि माननीय न्यायालय द्वारा म.प्र.शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा जारी परिपत्र कमांक एफ 2--6/07/सात--एक भोपाल दिनांक 3 मार्च 2010 में यह निर्धारित किया गया है कि "कोटवारों को सेवा भूमि के रूप में बतौर पारिश्रमिक जो भूमियां दी गयी है उन पर कोटवार को मौसमी हक उत्पन्न नही होते है ना ही उन्हे भूमि स्वामी माना गया है।" अतः इस प्रकरण में आवेदक को भूमि स्वामी हक प्राप्त नही होता है इस महत्वपूर्ण विधिक तथ्य का निराकरण शेष रह गया है जो निराकृत किया जाना आवश्यक है।
4. यह कि मालगुजारी उन्मूलन अधिनियम 1950 में जिस भूमि को सेवा भूमि माना गया था उक्त भूमि के संबंध में भूमि स्वामी की घोषणा की जा सकती है या नही,इस महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न का निराकरण शेष रह गया है।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

जिला – जबलपुर

प्रकरण कमांक – रिव्यू 812–एक/17

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7–12–17	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक की ओर से विद्वान पैनल अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया । यह पुनरावलोकन राजस्व मंडल के तत्कालीन सदस्य द्वारा प्रकरण कमांक निगरानी 1667–एक/16 में पारित आदेश दिनांक 18–11–16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत दिनांक 06–3–17 को प्रस्तुत की गई है । 2/ संहिता की धारा 51 सहपठित आदेश 47 नियम 1 व्यवहार प्रकिया संहिता में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है :– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्कों में उपरोक्त आधारों में से कोई आधार नहीं बतलाया जा सका है । केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निश्कर्शों में त्रुटि दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो पुनरावलोकन का आधार नहीं है । पुनरावलोकन आवेदन में जिन आधारों को बतलाया गया है, उन आधारों पर तत्कालीन सदस्य द्वारा विचार करके आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई कारण मैं नहीं पाता हूँ । 3/ उपरोक्त विश्लेष्ण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनरावलोकन प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । प्रशा0 सदस्य	